गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से पर काश्त कर रहे हैं और अप्रार्थीगण भी हिस्से पर काश्त कर रहे हैं जो बिना बंटवारे की आराजियात है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की स्त कब्जे काश्त की है। प्रा. पत्र की चरण सं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण च विभाजन 40 वर्ष पुराना होकर उसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त कर हैं मौके पर विभाजन बाबत कोई विवाद नहीं है मौके पर 40 वर्ष पुराना विभाजन कर रखा है र प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अपने अपने हिस्से पर थोहर बाड कर रखी है नये सिरे से नाप चौप करने की कोई आवश्यकता नहीं है मौके पर विभाजन पहले ही कर रखा है कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे तो हम अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। चरण सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी और हम अप्रार्थीगण के हक हिस्से अलग अलग है उसी अनुसार काबिज काश्त कर रहे हैं व प्रार्थी हमारी कब्जे काश्त की आराजियात में होकर नहीं आता जाता है न ही कोई बेचान कर रहे है जिस कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थना पत्र में अन्य तथ्य अंकित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज करने आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्षा की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान कर वाद ग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रस्तुत जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

अतः पत्रावली व दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न रहे।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested